

संग्रहालय - ५

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR, SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted sri - मुरेल केरकेडा

S/O, W/O D/O स्व० उरवानुस केरकेडा Village गोतरा खातन टोली

P.S. सिंडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri - कुलदीप कुमार S/O, W/O D/O स्व० कलेम-२ कुमार

Village - के उद्धवीह P.S. सिंडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 6-6-015

in Rev.C.N.T.case No 281 of 2014-15

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana & No	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
गोतरा	सिंडेगा 80	192	1671	2.17480 एकड़ी 0.0880	रु 45,000/- लाख चालानी
पाहडी	सिंडेगा 1671				
30:-	सिंडेगा 1686				
60:-	सिंडेगा 1010				
201:-	सिंडेगा 1010				
90:-	सिंडेगा 1010				

Sd..... ५।-

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 382(1) Rev. Dated (Simdega the 6/6/2015)

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri - मुरेल केरकेडा
पिता, स्व० उरवानुस केरकेडा



Village - गोतरा खातन टोली P.S. सिंडेगा District Simdega

For information and needful

De 6/6/15
L.R.D.C. Simdega

०१।०७।२०१६ संकेत-५ १३।०७।२०१६

कार्यालय, अंचल अधिकारी सिमटेगा

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमटेगा / भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमटेगा।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या २४१ सन् २०१४-१५



1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

- १) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्ता) का नाम : मुरेल कुरकेटा, पि० - ख० उरवानुष केरकेटा
पिता का नाम/पूरा पता : ग्राम - जोन्हा (खम्मतोली), सिमटेगा-
ख - जाति : खड़िया
२) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : मुकु खड़िया वो लोभा खड़िया वो वैलूख
खड़िया च० - घोघा खड़िया
३) जमीनदारी विलियन के पश्चात उक्त जमीन की ११२ उपरोक्त (तर्फेन)
जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी दार का नाम : ४) वर्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी दार का नाम : ११२ मुकु खड़िया व०
५) वर्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : इतराधिकारी
६) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक खड़िया
७) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : अंजी II रेखत का पोता
८) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार है तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : मुकु खड़िया नोभा खड़िया चैलूख खड़िया
९) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरुद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : X
१०) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है : ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं : X

११) जमीन देचने का आवश्यकता एवं औचित्य

१२) जमीन का किस एवं व्योरा

माल वनाने देते
ग्राम/धाना सं०- खाता सं०- लौट सं० - रकबा - किस
जोन्हा/४० ११२ १६७१ २.१७ र० डालाखीद्ध
में से ०.०४ र०

- १३) जमीन का मूल्य जो अप्रैल-वंगल की उक्त किसी जमीन विक्री के अनुसार हो
१४) जमीन का वर्तमान मूल्य
१५) विक्रेता के हस्ते की कुल उपलब्ध भूमि
१६) विक्री के बाद शेष भूमि

३०,६२५/-
२,४५००/-
१५.४१ मे ४.९५ १३।०७।१६
४.८६ र०




१३।०७।१६

(२)

2. क्रेता के सम्बन्ध में

- १) क - क्रेता का नाम / पिता का नाम
घर का पूरा पता : कुलदीप हुंगड़ुंगा, पि० - ल० + ल० म०
- ख - जाति : हुंगड़ुंगा, ग्राम - के उन्दौद, खिमडेगा।
- २) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी है ? नहीं किन्तु एक ही घाने के हैं।
- ३) जमीन खरीदने का कारण / आवश्यकता : गटह निर्माण।
- ४) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है : X
- ५) उनके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है : -
- ६) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका व्योग : X
- ७) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य : X
- ८) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकम आमा : X
- ९) जिला शिक्षा परायिका की अनुबंधों के अनुसंधान के पास कुल कितना जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य द्वारा आवश्यकता है : X
- १०) अभियुक्ति : -

८०, सिमडेगा, महाराष्ट्र, क्रेता वं विक्रेता
दोनों एक ही घाने के हैं तथा दोनों
आदिवासी समुदाय के क्रमशः खड़िगा
के उद्योग जाति के हैं। विक्री के पश्चात
भावेदक के विट्से ५.४६ ल० मूलि शेष
वचती हैं। जाति: आजोवर कर्इवाई है तु
ष्टिवेदन समर्पित।



मेमो


५ नवें नवारा १९६१

नाम: आमडेगा।

१३/१६

अमरावती अधिकारी
अमरावती अधिकारी
सिमडेगा....

१३/१६/६१



१०.१०.
१०.१०.
१०.१०.
१०.१०.

संख्या ३ — ५

अनुमति वाद संख्या 281 आर 8 (11) / 2014-15



श्री मुरेल केरकेटटा आवेदक।
बनाम
झारखण्ड सरकार विपक्षी।

आदेश

आवेदक श्री मुरेल केरकेटटा पिता—स्व० उरबानुस केरकेटटा ग्राम—गोतरा खम्हन टोली थाना—सिमडेगा जिला—सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन—पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः—

मौजा	थाना	थाना न०	खाता न०	प्लाट न०	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	192	1671	02.14 एकमेसे 0.08 एक
खम्हन	टोली				

कुल रकबा (शब्दों में) आठ ढीसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन मकान बनाने के लिए केता श्री कुलदीप डुंगडुंग पिता स्व० क्लेमेन्ट डुंगडुंग ग्राम—केन्दडीह थाना—सिमडेगा, जिला—सिमडेगा (जाति खड़िया) को विकी कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो मौजा—सलडेगा थाना—सिमडेगा, जिला—सिमडेगा के आम जनता एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा जिला—सिमडेगा को आम सूचना दी गई थी। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 188 दिनांक 18.03.2015 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचनाका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी है उक्त भूमि खतियानी रैयत मुठु खड़िया वो लोया खड़िया वो पौलुस खड़िया पै० धोधो खड़िया के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के वर्तमान जमाबंदीदार खाता संख्या 192 मुठु खड़िया वगैरह के नाम से दर्ज है। लगान रसीद आवेदक स्वयं के द्वारा दिया जाता है। आवेदक के अपने हिस्से की भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि को ब्रिकी कर रहा है। विकेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि विकी के पश्चात आवेदक के पास 04.86 एकड़ भूमि शेष बचता है विकी की जाने वाली इनकी खतियानी भूमि है। जो इन्हें उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। केता की ओर से अंचल अधिकारी सिमडेगा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या 274 दिनांक 01.05.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है तथा विकी की जाने वाली जमीन की चौहदी भी प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा—गोतरा खम्हन टोली, थाना न०—८० थाना—सिमडेगा जिला—सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न० 192 प्लॉट संख्या 1671 रकबा 0.08 एकड़




प्रतिक्रिया करता
15/10/16
15/10/16
15/10/16


जमीन को मकान बनाने के लिए केता श्री कुलदीप डुंगडुंग पिता स्व० क्लेमेन्ट डुंगडुंग
ग्राम-केन्द्रीह थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा को मो० 2,45,000.00 (शब्दों में) दो लाख
पैंतालीस हजार रुपये मात्र में अपने खुशी राजी से विकी कर रहा हूँ। उक्त जमीन विकी करने के
बाद 04.86 एकड़ जमीन शेष बचती है, जो जीविका के लिए पर्याप्त है। विकेता एवं केता दोनों
अनुसूचित जन जाति खड़िया जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर
मौजा— गोतरा खम्हनटोली, थाना N-80 थाना-सिमडेगा जिला सिमडेगा के अन्तर्गत खाता
न०192 प्लॉट संख्या 1671 रक्बा 0.08 एकड़ जमीन आवेदक श्री मुरेल केरकेटा पिता-स्व०
उरबानुस केरकेटा ग्राम-गोतरा खम्हन टोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को केता कुलदीप
डुंगडुंग पिता स्व० क्लेमेन्ट डुंगडुंग ग्राम-केन्द्रीह, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा को स्थानीय
बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी करने
कीअनुमति..... दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।




भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।

पुनर्श्वः तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन
पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।




भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।

१३०५/१६

८-५-००-

F- मुक्त

A- ४-००

गोग - १३-००
कुल- तराह रुपये मात्र।

प्रधान लिपिक
१३०५/१६

